महानिदेशालय गृह रक्षक

पत्र संख्या: 51(1)/एचजी/सीटीआई/टीआरजी./6/2019 1707 – 1741 दिनांक :- 24/5/19

परिपत्र

इस महानिदेशालय ने दिल्ली की महिला/लड़कियो को आत्मरक्षार्थ सशक्त बनाने हेतु स्कूल की ग्रीष्म कालीन छुट्टियों के दौरान उन्हे आत्म रक्षा प्रशिक्षण (Self Defence) प्रदान करने की पहल की है ।

सभी जिला स्टाफ अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उनके संबन्धित जिलो में कार्यरत रेसिडेंट वेल्फेयर असोशिएशन (RWA's) से संपर्क कर महिला/लड़कियो की आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु उनके लिखित प्रस्ताव प्राप्त कर उन्हे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें, ताकि समय रहते यथा संभव प्रशिक्षण चलाये जाने का प्रबंध किया जा सके। यह प्रशिक्षण गृह रक्षक महानिदेशालय के परिसर में तथा रेसिडेंट वेल्फेयर असोशिएशन (RWA's) द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतू यदि उचित स्थान एवं सामान की व्यवस्था कर दी जाती है तब उन्ही के क्षेत्र में प्रशिक्षण चलाया जा सकता है। इस प्रशिक्षण को चलाने हेतू निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:-

1. प्रशिक्षण की अवधि दस कार्य दिवसों की होगी।
2. प्रशिक्षण प्राप्त हेतू आयु कम से कम 12 वर्ष हो।
3. प्रशिक्षण की समय अवधि 2-4 घंटे प्रतिदिन होगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमति से जारी किया जाता है।

(डी.एस. रावत)
कमांडेंट (सीटीआई)

पत्र संख्या: 51(1)/एचजी/सीटीआई/टीआरजी./6/2019 दिनांक :-

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महानिदेशक गृह रक्षक के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त कमांडेंट।
3. वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी।
4. समस्त कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी।
5. समस्त जिला स्टाफ अधिकारी के अनुपालनर्थ ।
6. समस्त शाखा प्रभारी/ प्रशिक्षण प्रभारी।
7. गार्ड कमांडर के अनुपालनर्थ ।
8. नोटिस बोर्ड।

Server Room

(डी.एस. रावत)
कमांडेंट (सीटीआई)